नाथूलाल बनाम रामसहाय

94/2020 2020/00140

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/4/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वस्तु अपमानकारी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। काफी कोर्ट से थोड़ी भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अग्रग्रा जाती अपील में खारिज किया जाता है। पत्रावली बोस्टा सुमार होकर दर्ज रजिस्टर से नाम के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर हिल्स (सीगानेर)